विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-05/2021

द्वारा श्री रजत सिंह, — **आवेदक/अपीलार्थी**
वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर,
कर्षण वितरण, उत्तर मध्य रेल,
झांसी (उ.प्र.)

विरूद्ध

महाप्रबंधक, (संचा./संधा.) — **अनावेदक/प्रति–अपीलार्थी**
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 27.05.2022 को पारित)

01. आवेदक वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (कर्षण वितरण) उत्तर मध्य रेल झांसी ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 18.08.2021 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक जी.टी. 20/2019 दिनांक 30.06.2021 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम, 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 18.08.2021 को इस कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–05/2021 पर दर्ज की गयी है ।

02. **प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य**

प्रकरण में आवेदक ने निम्नानुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है :–
आवेदक माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन के साथ वैधानिक आधार प्रस्तुत कर रहा है :–

2.1 यह कि मध्यप्रदेश के अंतर्गत आने वाले रेल्वे ट्रेक्शन ग्वालियर, दतिया एवं बसई कर्षण उपकेन्द्रों पर महाप्रबंधक (संचा. संधा) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी रोशनी घर, इन्दरगंज, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) से 132 केवी की विद्युत सप्लाई वर्ष 1985–86 में ली गई थी तथा तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार अनुबंध किए गए थे जिनके अनुसार विद्युत सप्लाई बंद करने की स्थिति

में 3 माह पूर्व सूचना दी जानी चाहिए थी । परन्तु नियमों में परिवर्तन होने के बाद 2004 में म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा सप्लाई कोड के अनुसार 3 माह की सूचना का समय घटाकर 1 माह कर दिया गया, सप्लाई कोड 2004 में पेरा 7.26 के संबंध में अवलोकनीय है । बाद में वर्ष 2013 में नियमों को पुनः रिवाईज किया गया जिससे सप्लाई कोड में पैरा नं. 7.28 के अनुसार सप्लाई बंद करने के लिए 1 माह का समय ही मान्य किया गया ।

2.2 यह कि रेल्वे द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश में स्थित सभी कर्षण उपकेन्द्रों जिसमें कि ग्वालियर दतिया एवं बसई कर्षण उपकेन्द्र भी शामिल है पर पावर सप्लाई ओपन एक्सेस के द्वारा लिया जायेगा । जिसके लिए रेल्वे द्वारा मुख्य विद्युत वितरण इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल जबलपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक WCR/03/7508/2015-16 दिनांक 08.12.2015 एवं पुनः पत्र क्रमांक WCR/03/7508/2015-16/171 दिनांक 07.01.2016 को दिनांक 08.12.2015 के संदर्भ में Managing Director MPP (Central) KVVL Nistha Parisar Govindpura Bhopal को पत्र के द्वारा अवगत कराया था कि मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र में स्थित कर्षण उपकेन्द्र जिसमें झांसी मंडल के ग्वालियर दतिया एवं बसई कर्षण उपकेन्द्र भी शामिल है की पावर सप्लाई स्थाई रूप से बंद करने के लिए नोटिस भी दिया गया था एवं प्रति संबंधित विभागों को भी दी गई थी । ग्वालियर दतिया एवं बसई कर्षण उपकेन्द्र पर दिनांक 22.01.2016 समय दोपहर 12.00 बजे से पावर सप्लाई बंद कर दी गयी एवं इसके स्थान पर पावर सप्लाई रेल संचालन हेतु ओपन एक्सेस द्वारा ली जा रही है ।

2.3 यह कि महाप्रबंधक (संचा. संधा.) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रोशनी घर, इन्दरगंज, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) द्वारा दिनांक 08.12.2015 को पावर सप्लाई स्थाई रूप से बंद करने के नोटिस देने के उपरांत भी ग्वालियर दतिया एवं बसई कर्षण उपकेन्द्रों के बिल में वास्तविक खपत के साथ दो महीनें का मिनीमम (न्यूनतम) चार्ज जोड़कर बिल प्रस्तुत किया गया था । क्योंकि वर्तमान नियमों के अनुसार सप्लाई कोड के पैरा 7.26 एवं सप्लाई कोड 2013 पैरा 7.28 के अनुसार केवल जब तक पावर सप्लाई ली है उसी का बिल प्रस्तुत करना उचित है । महाप्रबंधक (संचा. संधा.) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रोशनी घर, इन्दरगंज, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) को दिनांक 05.02.2016, 15.02.2016, 18.02.2016, 28.03.2016, 13.04.2016, 19.09.2016 एवं 25.09.2018 को पत्राचार किए गए एवं टेलीफोन से संपर्क किया गया परन्तु कोई भी समाधान नहीं निकला ।

2.4 यह कि महाप्रबंधक (संचा. संधा.) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, रोशनी घर, इन्दरगंज, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) को रेल संचालन हेतु जमा की गयी सुरक्षा जमा राशि से दिनांक

01.01.2016 से 22.01.2016 समय दोपहर 12.00 बजे तक की वास्तविक खपत के एमाउंट को सुरक्षा जमा राशि से समायोजित करने के उपरांत बकाया सुरक्षा जमा राशि वापिस करने हेतु लिखा गया था ।

रेल्वे विभाग द्वारा जमा की गई राशि एवं बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	कर्षण उपकेन्द्र का नाम	माह मार्च–2016 दिनांक 01.01.2016 से 22.01.2016 तक बिल राशि	सुरक्षा जमा राशि	रेल्वे को देय सुरक्षा राशि
1.	ग्वालियर	रू. 2,57,28,244/–	रू. 5,70,77,395/–	रू. 3,13,49,151/–
2.	दतिया	रू. 2,79,95,552/–	रू. 6,30,44,302/–	रू. 3,50,48,750/–
3.	बसई	रू. 2,95,93,634/–	रू. 6,30,10,332/–	रू. 3,34,16,698/–

2.5 यह कि इस प्रकार शिकायतकर्ता को महाप्रबंधक (संचा. संधा.) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्रविद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, रोशनी घर, इन्दरगंज, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) से ग्वालियर कर्षण उपकेन्द्र की रू. 3,13,49,151/– दतिया कर्षण उपकेन्द्रों की रू. 3,50,48,750/– तथा बसई कर्षण उपकेन्द्र रू. 3,34,16,698/– की बकाया सुरक्षा जमा राशि ब्याज सहित दिनांक 22.01.2016 से देय सुरक्षा अदायगी तक व्यावसयिक बैंकों की दर से 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अदा किया जाए । इस परिवाद का व्यय भी दिलाया जाए ।

2.6 यह कि रेल्वे के द्वारा सप्लाई हेतु बिजली के संदर्भ में जो अनुबंध किए गए वह वर्ष 1985–86 के थे । परन्तु वर्ष 2004 में विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी सप्लाई कोड में सप्लाई बंद करने के नियमों में तीन माह की अवधि को घटाकर एक माह कर दिया गया है । इसलिए रेल्वे को अनावेदक द्वारा अंतिम बिल वास्तविक खपत के आधार पर ही दिया जाना चाहिए । जबकि उसमें दो माह फरवरी 2016 मार्च 2016 न्यूनतम राशि जोड़ा गया है, जो अनुचित और अवैध है ।

2.7 यह कि आदेश में फोरम द्वारा बताया गया है कि विद्युत अधिनियम 2003 के पूर्व किए गए अनुबंधों को धारा 185 के अंतर्गत सहेजे जाने के कारण तीन माह का नोटिस दिए जाने की शर्तें निर्विवादित विद्युत प्रदाय संहिता 2004/2013 में समापन हेतु एक माह का नोटिस मान्य किया है। रेल्वे का सप्लीमेटरी अनुबंध जो वर्ष 2007 में किया गया था । इसलिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185 इस अनुबंध पर लागू नहीं होती है । इस कारण फोरम द्वारा यह बात स्वीकार किया गया है कि एक माह का सूचना पत्र ही दिया जाना आवश्यक है । साथ ही रेल्वे द्वारा जो सूचना

पत्र दिए गए थे वह प्रभावी थे और अनावेदक द्वारा अनावश्यक रूप से तथा फोरम द्वारा भी तीन माह का नोटिस मान्य करना अवैधानिक है ।

2.8 यह कि फोरम द्वारा दिए गए निर्णय के चरण 6 में बताया गया है कि याचिका क्रमांक 76/2012 दिनांक 19.02.2013 के आदेश में विद्युत अधिनियम 2003 तीन माह के नोटिस की अवधि को मान्य किया है । जबकि फोरम में अपने आदेश के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित किया है कि एक माह का नोटिस दिया जाना चाहिए । जो फोरम ने नियामक आयोग द्वारा दिए गए निर्णय में जो प्रकरण के तथ्यों में उल्लेखित किया गया है कि एग्रीमेंट दिनांक 08.03.1966 एवं सप्लीमेंटरी एग्रीमेंट दिनांक 02.05.1995 उपरोक्त दोनों अनुबंध विद्युत अधिनियम 2003 के पूर्व के हैं । ऐसी स्थिति में धारा 185 उन पर तीन माह की अवधि का प्रावधान प्रभावी हो सकता है, परन्तु विद्युत अधिनियम 2003 रेल्वे के साथ किए गए सप्लीमेंटरी एग्रीमेंट 2007 पर तीन माह के नोटिस का प्रावधान लागू नहीं हो सकता है ।

2.9 यह कि विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 185 में उल्लेखित किया गया है कि कोई भी कार्यवाही नियम, अधिसूचना, निरीक्षण, कोई दस्तावेज या लिखित या निरसित विधि अधीन दिया गया आदेश जो तक अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं है । इस अधिनियम के तत्समान प्रावधानों के अधीन किया गया या लिया गया माना जायेगा । इस प्रकार फोरम द्वारा अपने आदेश में विरोधाभासी बात कहीं गयी है । जबकि असंगत प्रावधानों से वह बात मान्य नहीं की जायेगी ।

2.10 यह कि अन्य अभ्यावेदन के समर्थन में अन्य बहस के मुद्दे बहस के दौरान प्रस्तुत किए जायेंगे । अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि आवेदक का अभ्यावेदन स्वीकार कर आवेदक की बकाया सुरक्षा निधि वापस दिलाई जाए एवं उस राशि पर व्यावसायिक बैंक दर से ब्याज की राशि एवं व्यय भी दिलाया जाएं ।

03. प्रकरण को क्रमांक एल.00–05/2021 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 07.09.2021 को नियत की गई ।

- प्रथम सुनवाई दिनांक 07.09.2021 को आवेदक उत्तर मध्य रेल, झांसी की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री सी.एम. गर्ग एवं श्री एम.सी. वार्सने, चीफ ओ.एस. तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री जी.पी. उपवंशी उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री जी.पी. उपवंशी द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब देने हेतु समय की मांग की गई ।

अनावेदक अधिकृत अधिवक्ता की मांग को स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 28.09.2021 नियत की गई ।

- अगली सुनवाई दिनांक 28.09.2021 को आवेदक उत्तर मध्य रेल, झांसी की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री सी.एम. गर्ग एवं श्री एम.सी. वार्सने, चीफ ओ.एस. उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री जी.पी. उपवंशी उपस्थित ।
अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री जी.पी. उपवंशी द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब देने हेतु कुछ और अतिरिक्त समय की मांग की गई ।
अनावेदक अधिकृत अधिवक्ता की मांग को स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 07.12.2021 नियत की गई ।

- अगली सुनवाई दिनांक 07.12.2021 को आवेदक उत्तर मध्य रेल, झांसी की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री सी.एम. गर्ग एवं श्री एम.सी. वार्सने, चीफ ओ.एस. तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री जी.पी. उपवंशी उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री जी.पी. उपवंशी द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब देने हेतु कुछ और अतिरिक्त समय की मांग की गई ।
अनावेदक अधिकृत अधिवक्ता की मांग को स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अन्तिम सुनवाई दिनांक 21.12.2021 नियत की गई ।

- अग्रिम सुनवाई दिनांक 21.12.2021 को आवेदक उत्तर मध्य रेल, झांसी की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री सी.एम. गर्ग एवं श्री एम.सी. वार्सने, चीफ ओ.एस. तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री जी.पी. उपवंशी उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री जी.पी. उपवंशी द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसकी एक प्रति आवेदक अधिवक्ता को दी गई ।

04. प्रकरण में अनावेदक ने अभ्यावेदन पर निम्नानुसार प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है :–

The humble respondent most respectfully submits its reply as under

4.1 That, by way of this Application, the applicant has challenged the TMM billing being raised against it upon the disconnection made treating notice period to be 3 months, while the applicant-Railways states that the notice period should have treated to be one month.

4.2 The applicant-Railways has claimed that it gave notice for disconnection on 08.12.2015 and thereafter the actual disconnection took place on 22.01.2016, hence, the TMM billing should have stopped on 22.01.2016 as one month period was already over. On the contrary, the MPKVVCL continued to issue the bills of TMM even after 22.01.2016, treating the notice period to be 3 months and in the manner, the liability after 22.01.2016 is being challenged and a prayer is being made to refund the security deposit after adjusting the bill up too 22.01.2016.

4.3 That, in nut-shell, the dispute raised is whether the agreement shall be terminated on expiry of one month or three months from the date of notice. Thus, whether the Railways is liable to pay the TMM charges for three months from the date of notice, or only till 22.01.2016, which is the date of actual disconnection after one month from the date of notice

4.4 That the respondent Company has demanded TMM charges for the period after 22.01.2016 (date of actual disconnection), upto a period of 3 months (till end of the calendar month) from the date of notice of disconnection.

4.5 That, as per the averrment of the Railways, agreements and supplementary agreement were executed with the Railways for the three connections as under :-

Sub-Station	**Original agreement**	**Last Suppl. Agreement**
Basai Traction S/s	07-11-1986	29-08-2007
Datia Traction S/s	10-10-1986	29-08-2007
Gwalior Traction S/s	23-12-1985	29-08-2007

4.6 That, in all the three agreements:-

Clause 25 (a) provides the initial period of agreement to be 5 years. As per clause 25 (b), there after the initial period of agreement, the agreement shall be deemed to continue year to year. The agreement during such extension period shall be terminable by either party,

giving at least three months' notice in writing (expiring at the end of any calendar month) before the termination of such period

As per Clause 25 (c), upon expiry of the period of notice, the agreement shall stand terminated.

4.7 That, supplementary agreement was executed from time to time as when there was enhancement or reduction of the connected load, in the supplementary agreement, only the clause relating to connected load stood amended and it was expressly mentioned that except the said amendment, the said agreement shall remain in and has full force and effect.

4.8 That, the applicant has stated that as per Clause 7.26 of the Electricity Supply Code 2004 as well as Clause 7.28 of the subsequent Electricity Supply Code 2013, the notice period for termination has been reduced to 1 month hence this change of rules should have been applied to the applicant Railways also, and its agreement should have stood terminated on expiry of 1 months' notice period.

4.9 That, the aforesaid contention of the applicant has no legs to stand in law and for the reasons being mentioned in detail by the respondent in this reply, it is submitted that the notice period of 3 months as provided in the agreement shall continue to be operative despite the enforcement of the Electricity Supply Code 2004 and 2013

4.10 That, initially, the Supply Code 2004 was enforced. The said Code contained a clause 7.26 that mentioned that consumers other than domestic and single phase non-domestic consumers can terminate the agreement after the expiry of initial period of 2 years on giving one months notice Similar provision is there in Clause 7.28 of the Supply Code 2013

4.11 That, there was a supplementary agreement in 2007 after enforcement of the Supply Code 2004, that clearly continued other provisions of the initial agreement. Thus, by agreeing to other clauses of the agreement by executing supplementary agreement in 2007 (when the Supply Code of 2004 had come into force), the applicant is stopped from stating that the notice period has got reduced to 1 month by force of clause 7.26 and 7.28 of the Supply Code 2004 and 2013 respectively.

4.12 That, the provisions of the subsequent Supply Code do not apply in the matter of termination of those agreements of the Consumers that were executed prior to enforcement of such Supply Code.

4.13 That, as per Clause 2.1(b) of the Electricity Supply Code 2004, "agreement" is defined as under :-

"Agreement with its grammatical variations and cognate expressions means an agreement entered between the licensee and the consumer under this Code

4.14 That, as per Clause 2.1 (B) of the Electricity Supply Code 2013, "Agreement" is defined as under :-

"Agreement" with its grammatical variations and cognate expressions means an agreement entered between the licensee and the consumer under this Code."

4.15 That, the Supply Code of 2004 and 2013 both have a form of agreement appended to the Code. Thus, the agreement for the purpose of the Supply Code (s) of 2004 and 2013 shall mean an agreement that has been executed under the said Code (s), i.e. on the form and format contained in the said Code, and after enforcement of the said Code.

4.16 That, even the agreement format appended to the Supply Codes of 2004 and 2013 contain a clause of "special conditions. Thus, the parties can agree to conditions different from the conditions enumerated under the general conditions of the agreement form provided in the Supply Code.

4.17 Thus, the termination clause as provided in the agreement shall, thus, prevail over the termination clause as contained in the Supply Code 2013, because the agreement has not been executed under the Supply Code 2013.

4.18 That, parties are free to agree to any condition while executing an agreement, and the condition of three months notice period is not an unlawful condition in terms of the Indian Contract Act. Thus, the some remains valid and enforceable.

4.19 That, for the reasons mentioned above, the consumer is fully liaable to pay TMM that has been demanded and the agreement would terminate on expiry of three months notice

period (from end of calendar month). It is crystal clear that the respondent has acted absolutely as per the rules and the agreement in the present case. There is no violation of any rules or regulations in terminating the contract treating the notice period of 3 months, and raising the billing against the consumer-Railways

4.20 That the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh Bench at Jabalpur has passed an order in writ petition no. 76/2016 on 19-02-2013, **"that the period or notice of termination of agreement may be considered as three months only"**

4.21 That it is also relevant to mention here that the Hon'ble Electricity consumer Redressal Forum Indore decided in case no. 4312/19 on 13-08-2019 that As detailed out in the opinion the Forum is of view that the decision for resolving the dispute of Security Deposit and amount refundable to railways of all the 36 nos Traction Connections of MP including Suvasara traction for which the case has been filled by the application is being dealt at Energy Department government of M.P. level by appointing East Discom as Nodal authority for all the discom to take up the matter with Chief Electrical Engineer, Traction Distribution West Central Railway office of General Manager, Jabalpur on behalf of railways, Thus the forum does not find any reasonability in resolving the Grievances individually as this case has been filed for Suvasare traction sub- station. As such the case filed by the applicant cannot be considered.

It is therefore, most humbly prayed that the Hon'ble Chairman, Electricity Ombudsmen be pleased to reject the Application filled by the applicant and to affirm the billing for TMM charges as legal, valid and proper, in the interest of justice.

It is prayed accordingly

05. उभयपक्षों द्वारा प्रकरण में कुछ अतिरिक्त समय की मांग की गई ।
उभयपक्षों की मांग को स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अन्तिम सुनवाई दिनांक 28.01.2022 नियत की गई ।

- अगली सुनवाई दिनांक 28.01.2022 को विद्युत लोकपाल का पद रिक्त होने के कारण उक्त प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी तथा विद्युत लोकपाल के पद पर दिनांक 14.02.2022 को पदस्थापना के बाद उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक 16.03.2022 नियत की गई ।

- अगली सुनवाई दिनांक 16.03.2022 को आवेदक उत्तर मध्य रेल, झांसी की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री सी.एम. गर्ग एवं श्री एम.सी. वार्सने, चीफ ओ.एस. तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री जी.पी. उपवंशी उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री जी.पी. उपवंशी द्वारा उक्त प्रकरण में अभ्यावेदन पर जवाब की प्रति आवेदक को नहीं मिलने के कारण पुनः आवेदक को प्रति दी गई ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण में अनावेदक द्वारा दिए जवाब का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय की मांग की गई ।

आवेदक अधिवक्ता की मांग को स्वीकार करते हुए तथा उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 13.04.2022 नियत की गई ।

- अगली सुनवाई दिनांक 13.04.2022 को आवेदक उत्तर मध्य रेल, झांसी की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री सी.एम. गर्ग एवं श्री एम.सी. वार्सने, चीफ ओ.एस. तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री जी.पी. उपवंशी उपस्थित ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण में अनावेदक द्वारा दिए जवाब का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय की मांग की गई ।

आवेदक अधिवक्ता की मांग को स्वीकार करते हुए तथा उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 12.05.2022 नियत की गई ।

- अगली सुनवाई दिनांक 12.05.2022 को आवेदक उत्तर मध्य रेल, झांसी की ओर से उनके अधिकृत अधिवक्ता श्री सी.एम. गर्ग एवं श्री एम.सी. वार्सने, चीफ ओ.एस. तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री दिनेश सुखीजा, जी.एम. ग्वालियर तथा कम्पनी के अधिकृत अधिवक्ता के सहायक अधिवक्ता श्री जयप्रकाश चंद्रवंशी उपस्थित ।

आवेदक द्वारा उक्त प्रकरण में अनावेदक के जवाब का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति अनावेदक को दी गई ।

06. आवेदक द्वारा अनावेदक के जवाब पर प्रस्तुत प्रति उत्तर निम्नानुसार है :–

आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है कि :–

6.1 यह कि विद्युत प्रवाह का विच्छेद के बारे में नोटिस की अवधि जो बताई है जिसमें सप्लाई कोड 2004 के अनुसार चरण नं. 7.26 के अनुसार थी बाद में सप्लामेंट्री एग्रीमेंट किया गया था उस

समय बदलाव के कारण वह अवधि जो अनावेदक के द्वारा जारी किया गया सप्लाई कोड में संशोधन होने से वह अवधि हटाकर सप्लाई कोड के 7.28 में 2013 विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किया गया सप्लाई कोड के अनुसार घटाकर 3 माह के स्थान पर एक माह कर दी गई थी ।

6.2 यह कि चरण क्रमांक 2 के अनुसार जो सूचना पत्र दिनांक 08.12.2015 को दिया उसके अनुसार वास्तविक विद्युत विच्छेद दिनांक 22.01.2016 को हुआ और एक माह की अवधि समाप्त हो चुकी थी तथा ऐसी स्थिति में टी एम टी बिलिंग को बंद हो जाना चाहिए था परन्तु अनावेदक द्वारा बिल दिनांक 22.01.2016 को बिल जारी किए गए जो तीन माह की अवधि के अनुसार नहीं होने चाहिए थे तथा विद्युत नियामक द्वारा जारी सप्लाई कोड के अनुसार फरवरी से मार्च 2016 तक की मांग अनुचित है ।

6.3 यह कि चरण क्रमांक 3 के अनुसार यह अविवादित है कि आवेदक द्वारा दिए गए सूचना पत्र में उल्लेखित किया गया था कि जब सूचना पत्र दिया गया और विद्युत विच्छेद हो जाने से उसके बाद की अवधि का बिल दिया जाना औचित्यहीन है ।

6.4 यह कि चरण क्रमांक 4 के अनुसार जो मांग अनावेदक द्वारा टी एम एम चार्ज के तीन माह के लिए की गई है वह भी सूचना पत्र के प्राप्त होने के बाद से तथा विच्छेद हो जाने के बाद अवधि की मांग अवैध है ।

6.5 यह कि चरण क्रमांक 5 के अनुसार झांसी मण्डल के ग्वालियर दतिया तथा बसई के उप केन्द्रों पर जो 132 केवी की विद्युत सप्लाई वर्ष 1985 एवं 1986 से ली जा रही थी उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार दोनों पक्षों ने एग्रीमेंट के रूप में मांग की थी तथा उस समय की स्थिति के अनुसार तीन माह की अवधि का सूचना देना तय था परन्तु वर्ष 2004 में विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी सप्लाई कोड में सप्लाई बंद करने के नियमों में अवधि को घटाकर एक माह किए जाने से तथा 2007 में एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किए जाने में सप्लाई कोड के अनुसार ही वह घटाकर एक माह हो गया था तथा नियमों में बदलाव आने से रेल्वे द्वारा उक्त जानकारी के आधार पर ही बिलिंग उसी अनुसार की जाएगी जो नए नियमों के तहत सप्लाई बंद करने के नियमों में भी परिवर्तन होने से सप्लाई कोड 7.28 में क्रम हो जाने से वहीं नियमों को प्रभावी माना जाएगा ।

6.6 यह कि चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित एग्रीमेंट जो वर्ष 1985 एवं 1986 में हुए तथा बाद में 2007 में हुए ऐसी स्थिति में जबकि 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा सप्लाई कोड 7.26 में

सप्लाई बंद करने के लिए एक माह की अवधि निर्धारित है तथा वर्ष 2004 में सप्लाई कोड में सप्लाई बंद करने के लिए एक माह का नोटिस देने पर एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा ।

6.7 यह कि यदि नियमों में परिवर्तन होने के उपरांत भी यदि अनावेदक द्वारा अनुवाद में जो हुए तथा जो सप्लाई कोड आने के बाद ऐसा नहीं किया गया तो भी नियमों के अनुसार ही सप्लाई बंद किए जाने पर सप्लाई कोड के अनुसार नोटिस की अवधि कम हो जाने पर तथा नोटिस दिए जाने के उपरांत एक माह की अवधि के पश्चात समझौता समाप्त ही माना जाएगा ।

6.8 यह कि चरण क्रमांक 8 में उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

6.9 यह कि अनावेदक द्वारा सप्लाई कोड लागू होने के बाद पूर्व की अवधि को मान्य नहीं किया जा सकता है । सप्लाई बंद करने के लिए intial period of 2 years after giving one month notice. However if the agreement is terminated for the reasons what so ever the categories other than domestic.

उक्त नियम पूर्व परिवर्तन किया गया तथा सप्लाई कोड 7.28 में सप्लाई बंद करने के लिए एक माह की अवधि मान्य किया गया था । ऐसी स्थिति में रेलवे द्वारा सप्लाई नियत 30 वर्ष हो गए ऐसी स्थिति में सप्लाई कोड परिवर्तन के अनुसार दिए गए नोटिस को अनावेदक को मान्य होना चाहिए क्योंकि नए सप्लाई कोड के आने से वह ही प्रभावशाली होंगे ।

6.10 यह कि चरण क्रमांक 10 में उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

6.11 यह कि चरण क्रमांक 11 के अनुसार अनावेदक कंपनी द्वारा सप्लाई कोड के प्रभावी होने की तथा सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट 2007 के आ जाने से सप्लाई कोड 7.28 प्रभावी होने से पूर्व का सप्लाई कोड लागू नहीं होगा ।

6.12 यह कि चरण क्रमांक 12 के अनुसार यह विवादित है कि सप्लाई बंद करने के नियमों में बदलाव आ गया था तथा ऐसी स्थिति में जो भी तत्कालीन प्रचलित नियम होंगे उनको दोनों पक्षों के लिए होंगे । विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी जो प्रभावी है उनसे अनावेदक उनको नकार नहीं सकता तथा कानूनी तौर पर वह बाध्य होंगे । अपने बनाए गए नियमों से वह प्रभावी होने को जो उसके विरूद्ध हो तो भी वह बाध्य है ।

6.13 यह कि चरण क्रमांक 13 के अनुसार अनुबंध की परिभाषा बताई गई है तथा जो भी एग्रीमेंट होंगे वह दोनों पक्षों पर लागू होंगे । विद्युत वितरण कंपनी एवं रेलवे के साथ किए गए एग्रीमेंट के

पैरा नम्बर 20 एवं 32 और सप्लाई कोड 2013 के एग्रीमेंट के पैरा 36–क में स्पष्ट किया गया है कि उपभोक्ता म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई विद्युत प्रदाय की शर्तों का अनुपालन करेगा जैसी कि वे विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों तथा इनमें किए गए कतिपय संशोधन अथवा पुर्न अधिनियम जो कि विद्यमान में लागू होंगे अथवा समय समय पर लागू किए जायेंगे प्रयोज्य होंगे । मध्य क्षेत्र तत्संबंधी नियम तथा विनियम यथाक्रम प्रथक रूप से अथवा समय समय पर लागू किए जाएंगे । क्षेत्रवितरण कंपनी द्वारा ''विद्युत प्रदाय संहिता 2013'' के विनियम संबंधी एक प्रति उपभोक्ता को प्रदान कर दी गई है तथा उपभोक्ता इसकी एक प्रति की प्राप्ति की अभि स्वीकृति प्रदान करता है परन्तु विद्युत कंपनी ने सप्लाई कोड 2004 में सप्लाई बंद करने के नियमों में हुए बदलाव के संबंध में रेलवे को कोई जानकारी नहीं दी और न ही पत्र के माध्यम से अवगत कराया था ।

6.14 यह कि यह अविवादित है कि मूल अनुबंध के पश्चात् से अनुबंध वर्ष 2007 में हुआ है और ऐसी स्थिति में तथा सप्लाई कोड 2004 के प्रभावी होने के बाद से उसके बाद भी 2007 में अनुबंध हुआ है तो ऐसी स्थिति में सप्लाई कोड के प्रभावी होने से नकार किये जाने से भी प्रभावी कानून को मान्य किया जाता है ।

6.15 यह कि म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा सप्लाई कोड जारी हो जाने के नियमों के अनुसार ही एग्रीमेंट किया जाएगा यदि उसके विपरीत कोई भी अलग अलग शर्तों पर होगा तो वह मान्य नहीं होगा । यदि वह प्रचलित एवं नियमों के विपरीत हो तथा जो नियम बनाए जाते हैं उनके प्रति उनकी जबावदारी बोर्ड की है तथा उसको उसी नियमों के अनुरूप ही कार्य करना होगा उसके विपरीत नहीं ।

6.16 यह कि विद्युत वितरण कंपनी एवं रेलवे के साथ 2007 में सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया गया था सप्लाई कोड 2004 के पैरा 7.26 में सप्लाई बंद करने के लिए एक माह का नोटिस ही मान्य किया गया था जो पूर्णतया मान्य है । रेलवे ने सप्लाई बंद करने के लिए दिनांक 08.12.2015 को नोटिस दिया था एवं सप्लाई दिनांक 22.01.2016 को बंद हुई थी । रेलवे द्वारा सप्लाई कोड का पूर्ण रूप से पालन किया था ।

6.17 यह कि विद्युत वितरण कंपनी एवं रेलवे द्वारा वर्ष 1985–86 में एग्रीमेंट एवं वर्ष 2007 में सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया गया था, एग्रीमेंट के पैरा 30 और 32 और सप्लाई कोड 2013 के एग्रीमेंट के पैरा 36 –क स्पष्ट किया गया है कि उपभोक्ता म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्यमान में

लागू किए गए तत्संबंधी नियम तथा विनियम यथाक्रम प्रथक प्रथक रूप से अथवा समय समय पर लागू किए जायेंगे प्रयोज्य होंगे । इस प्रकार वर्ष 1985–86 में किए गए एग्रीमेंट में सप्लाई बंद करने के लिए 3 माह का नोटिस सप्लाई कोड 2004 एवं 2013 के अनुसार मान्य नहीं है ।

अतः अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब का कोई वैधानिक आधार न होने से निरस्त किया जाए तथा देय सुरक्षा राशि अविलम्ब प्रदान की जाए तथा उपरोक्त सुरक्षा राशि नोटिस प्रदान किए जाने के एक माह के उपरांत व्यवसायिक बैंक दर से 18 प्रतिशत का ब्याज अदायगी तक दिलाया जाए।

07. आवेदक एवं उनके अधिकृत वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता ने लिखित प्रतिवेदन के अतिरिक्त निम्नानुसार कथन किए हैं :–

7.1 रेलवे द्वारा कनेक्शन स्थाई रूप से काटने हेतु दिनांक 08.12.2015 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अनुसार नोटिस दिया था ।

7.2 सभी नियमों का पालन वितरण कंपनी को करना चाहिए ।

7.3 रेलवे विभाग एवं वितरण कंपनियां विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य है ।

7.4 अनुबंध समाप्ति विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में परिभाषित है ।

7.5 अनुबंध समाप्ति हेतु नोटिस की अवधि एक माह होना चाहिए ।

7.6 विद्युत अधिनियम 2003 की कंडिका 185 के अनुसार भी नोटिस की अवधि एक माह होना चाहिए ।

आवेदक से प्रश्न :–

(i) क्या आपके द्वारा कनेक्शन काटने के नोटिस दिनांक 08.12.2015 में कनेक्शन काटने की दिनांक दर्शायी है ?

उत्तर : जी नहीं । स्वतः कहा कि जब ओपन एक्सेस की पावर आ जावे तब काटना है ।

(ii) विद्युत अधिनियम 2003 की कण्डिका क्र0 185 में क्या पूर्व में निष्पादित अनुबंध सुरक्षित है ?

उत्तर : जी नहीं

(iii) क्या 08.12.2015 के पत्र की सूची में बसई का नाम सम्मिलित था ?

उत्तर : जी नहीं पर 07.01.2016 के पत्र में सम्मिलित कर दिया था ।

08. अनावेदक की ओर से महा प्रबधक (संचा./संधा.), ग्वालियर ने लिखित प्रतिवेदन के अतिरिक्त कथन निम्नानुसार किए हैं :–

8.1 कनेक्शन देते समय ग्वालियर, दतिया एवं बसई हेतु अनुबंध दिनांक 23.12.1985, 13.10.1986 एवं 07.11.1986 को निष्पादित किए गए थे । सभी अनुबंध कनेक्शन काटने तक वैध/लागू थे, क्योंकि भार वृद्धि एवं कमी का प्रभाव सप्लीमेंट्री (पूरक) अनुबंध के माध्यम से किया गया है एवं उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि मूल अनुबंध की शर्तें लागू रहेगी, अतः मूल अनुबंध की तीन माह के नोटिस की शर्त लागू रहेगी ।

8.2 माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक रिट पिटीशन 14133/2006 में, माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक रिट अपील 1166/2008 में एवं माननीय विद्युत नियामक आयोग ने पिटीशन क्रमांक 76/2012 में निर्णय दिया है कि विद्युत प्रदाय संहिता 2004/2013 के जारी होने के पूर्व के अनुबंधों में प्रारंभिक अनुबंध अवधि समाप्त होने के उपरांत कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित करवाने हेतु नोटिस की अवधि अनुबंध में प्रावधान अनुसार 3 माह ही रहेगी । माननीय उच्च न्यायालय रिट अपील 1166/2008 एवं माननीय नियामक आयोग की पिटीशन क्रमांक 76/2012 के निर्णयों की प्रति प्रेषित कर रहा हूं । कृपया संज्ञान में लेने की कृपा करें ।

8.3 रेलवे द्वारा ग्वालियर, दतिया एवं बसई के ट्रेक्शन कनेक्शन कटवाने हेतु जो पत्र दिनांक 08.12.2015 एवं 07.01.2016 दिये गये थे वह न तो नोटिस के प्रारूप में थे एवं नाही उनमें इन कनेक्शनों को काटने हेतु कोई निश्चित दिनांक दी गई थी, अतः नोटिस मानने योग्य नहीं है । इसके उपरांत भी 08.12.2015 के पत्र को ग्वालियर एवं दतिया के ट्रेक्शन कनेक्शन हेतु नोटिस माना गया है एवं 07.01.2016 के पत्र को बसई के ट्रेक्शन कनेक्शन हेतु नोटिस माना गया है ।

09. प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है :–

(i) आवेदक चीफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर ने दिनांक 08.12.2015 को पत्र क्रमांक WCR/L/03/7508/2015-16 तीनों वितरण कम्पनियों के प्रबंध संचालकों के नाम जारी किया जिसमें रेल्वे ट्रेक्शन के विद्युत कनेक्शनों को काटने हेतु निवेदन किया था, किन्तु पत्र का अवलोकन करने पर यह कहीं भी नहीं लिखा पाया गया है कि किस दिनांक को कनेक्शन विच्छेदित किया जाना है । इस पत्र के साथ संलग्न सूची में केवल ग्वालियर एवं दतिया

ट्रेक्शन के कनेक्शनों का नाम सूचित किया था (कुल 24 कनेक्शनों की सूची) इसमें बसई ट्रेक्शन कनेक्शन का नाम सम्मिलित नहीं था ।

. (ii) उपरोक्त पत्र के उपरान्त दिनांक 07.01.2016 को पत्र क्रमांक WCR/L/03/7508/2015-16/171 और जारी किया जिसमें भी कनेक्शन काटने की कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई है । इस पत्र के साथ 36 कनेक्शनों की सूची है जिसमें ग्वालियर और दतिया के साथ बसई ट्रेक्शन कनेक्शन का नाम भी सम्मिलित है ।

. (iii) उपरोक्त दोनों पत्र कनेक्शन विच्छेदित करने के नोटिस के प्रारूप में नहीं हैं ।

. (iv) अनावेदक ने ग्वालियर एवं दतिया ट्रेक्शन विद्युत कनेक्शनों हेतु रेलवे विभाग द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 08.12.2015 को ग्वालियर व दतिया के लिए एवं बसई के लिए पत्र दिनांक 07.01.2016 को नोटिस मानकर अनुबंध अनुसार बिलिंग की है । बसई में 1 माह की कम बिलिंग की गई है, जिसे विद्वान फोरम ने इंगित किया है ।

(v) उभयपक्षों के बीच निष्पादित अनुबंध :–

. ट्रेक्शन कनेक्शन	. मूल अनुबंध	. पूरक अनुबंध
. बसई	. 07.11.1986	. 29.08.2007
. दतिया	. 13.10.1986	. 29.08.2007
. ग्वालियर	. 23.12.1985	. 29.08.2007

इन सभी मूल अनुबंधों में कनेक्शन समापन पर कण्डिका क्रमांक 25 (बी) के अनुसार 3 माह का नोटिस दिए जाने का प्रावधान है ।

. (vi) चूंकि 08.12.2015 के पत्र में बसई ट्रेक्शन उपकेन्द्र का नाम नहीं था, अतः दिनांक 07.01.2016 के पत्र को बसई ट्रेक्शन कनेक्शन हेतु नोटिस मानकर तद्नुसार बिलिंग की गई है, किन्तु इसमें नोटिस अवधि 3 माह के स्थान पर मात्र 2 माह की बिलिंग की है, जिसे विद्वान फोरम ने अपने निर्णय में एक माह की और बिलिंग करने हेतु लेख किया है ।

. (vii) आवेदक ने अपने अभ्यावेदन में यह बिन्दु उठाए कि विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कण्डिका 7.26 एवं उसके बाद पुनरीक्षित विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 7.28 के अनुसार कनेक्शन समापन के संबंध में आवेदक का यह कहना सही है कि सप्लाई कोड की कंडिका क्रमांक 7.26 के अनुसार विद्युत कनेक्शन के अनुबंध के समापन हेतु नोटिस अवधि एक माह होगी, किन्तु नोटिस अवधि एक माह केवल उन्हीं अनुबंधों के लिए होगी जो सप्लाई

कोड प्रभावी होने के उपरांत निष्पादित किए हैं यह शर्त उसके पूर्व निष्पादित किए गए अनुबंधों पर लागू नहीं होना चाहिए ।

(viii) आवेदक ने यह भी निवेदन किया है कि ग्वालियर, दतिया एवं बसई कर्षण विद्युत कनेक्शनों की विद्युत प्रदाय दिनांक 22.01.2016 को दोपहर 12.00 बजे बन्द कर दी गई । इसके उपरान्त रेल संचालन हेतु विद्युत ओपन एक्सेस के माध्यम से लिया जा रहा है ।

(ix) आवेदक ने यह भी निवेदन किया है कि उपरोक्त कनेक्शनों में वर्ष 2007 में सप्लीमेंट्री अनुबंध किया था । विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185 इस अनुबंध पर लागू नहीं होती, किन्तु वास्तविकता में विद्युत प्रदाय संहिता जारी होने के पूर्व के सभी अनुबंध विद्युत अधिनियम 2003 की कण्डिका क्रमांक 185 के तहत सहेजे हुए हैं, अतः आवेदक का यह कथन मान्य करने योग्य नहीं है ।

वर्ष 2007 में निष्पादित पूरक अनुबंध से यह स्पष्ट है कि भार वृद्धि/कमी के लिए जब भी पूरक अनुबंध निष्पादित किए गए हैं वे केवल मूल अनुबंध के पद क्रमांक 1(a) में बदलाव लाने के लिए किए गए हैं जो कि कनेक्शन के अन्तर्गत उपयोग किए जाने वाले भार की मात्रा के संबंध में है जिसमें इस प्रकार की शर्त हैं :–

Save the hereinbefore modified, the said agreement shall remain in and have full force and effect.

जिसे उभयपक्षों द्वारा सहमत होकर हस्ताक्षर किए हैं, अतः यह स्पष्ट है कि पूरक अनुबंधों (Supplimentary Agreement) के माध्यम से केवल संविदा मांग में बदलाव किया है इसके अतिरिक्त मूल अनुबंध की सभी शर्तें लागू रहेंगी ।

(x) आवेदक ने अपने अभ्यावेदन में यह भी लिखा है कि फोरम ने अपने आदेश के चरण क्रमांक – 05 में उल्लिखित किया है कि एक माह का नोटिस दिया जाना चाहिए जबकि विद्वान फोरम ने अपने निर्णय में की गई विवेचना के बिन्दु क्रमांक – 05 में यह स्पष्ट किया है कि ''विद्युत प्रदाय संहिता 2004 एवं 2013 में समापन हेतु एक माह के नोटिस दिए जाने के प्रावधान पर इसके पूर्व के अनुबंध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185 के अन्तर्गत सहेजे जाने के कारण मूल अनुबंध में 3 माह के नोटिस दिए जाने की शर्त निर्विवादित रूप से प्रभावी (अभिभावी) होगी,'' अतः आवेदक ने आदेश के उस चरण का गलत अर्थ निकालते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ।

. (xi) अनुबंध के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के WA 1166/2008 के निर्णय के चरण क्रमांक – 07 में निम्नानुसार उल्लेख है :–

. "the terms and conditions of the contract, by no stretch of imagination, could be treated to be arbitrary and there were no earthly reason to treat the same to be violative of Article 19(1)(g) of Constitution of India; and that on coming into force of the 2004 Code, the pre-existing contract did not loose its basic characteristics being saved by law."

. (xii) माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रिट अपील 1166/2008 के निर्णय के चरण क्रमांक – 08 में एग्रीमेंट के संबंध मे निम्नानुसार कहा है :

. "The said agreement is under Clause (vi) of the Schedule to the Electricity Act, 1910 read with Section 26 of Electricity Supply Act 1948. Six categories of agreements have been held to be statutory in nature as per the decision of Apex Court."

. (xiii) आवेदक ने बार–बार विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका क्रमांक 7.26 का हवाला देते हुए समापन हेतु एक माह का नोटिस होना चाहिए, ऐसा सिद्ध करने की कोशिश की है ।

. (xiv) माननीय उच्च न्यायालय ने रिट अपील क्रमांक 1166/2008 के चरण क्रमांक – 40 में 7.26 के संबंध में स्पष्ट किया है, जो निम्नानुसार है :–

. "To appreciate the said submission, the anatomy of Clauses of 7.13 and 7.26 are to be seen which we have already reproduced hereinbefore Section 185(2)(a), as understood, saves the contract agreement dated 26.11.2003 since clause 11.2 of the Code stipulates that Clause 7.26 is subject to the Electricity Act, 2003. The anatomy of Clause 7.26 relates to a different spheres and if Sections 185(2)(a) and 174 area read in conjunction, it is clear as crystal that it does not affect the old agreement. The deeming fiction which finds place in clause 7.13 can really not be incorporated into the language of clause 7.26. The submission that "time being in force" would be governed by the future law cannot be disputed as a proposition but in the case at hand, the future law, i.e. the Electricity Act, 2003 saves the agreement and the 2004 Code nowhere takes away the said saying clause and that is not the language of the Code. To import a fiction which is not there is impermissible. True it is, the learned Single Judge has noted the agreement to be private in nature and thereby refused to

issue a writ of mandamus but the same really cannot be accepted as the agreement which was entered into on 26.11.1984 is statutory in nature as the terms and conditions have been postulated under the statue and there is no scintilla of doubt about it. But the statutory contract is further governed by the amended statute which saves the statutory document."

(xv) माननीय उच्च न्यायालय ने रिट अपील क्रमांक 1166/2008 में निम्नानुसार निर्णय दिया है :–

"Consequently, though we have overturned the finding of the learned Single Judge that the earliest contract agreement was private in nature and held that it is a statutory one, yet we are unable to accept the submissions putforth by the learned counsel for the appellant and, therefore, the inevitable corollary is that the appeal has to face dismissal which we direct."

(xvi) माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने ओरिएण्ट पेपर मिल्स (ओपीएम आमलाई विरूद्ध मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर की याचिका क्रमांक 76/2012 आदेश दिनांक 19 फरवरी, 2013 में निम्नानुसार निर्णय दिया हैः–

"The period of notice from three months was already provided in the HT agreement dated 02.05.1995 in respect of M/s OPM prior to coming into effect of the MP Electricity Supply Code, 2004 and the agreement was saved under Section 185 of the Electricity Act, 2003. The Commission, after going through the judgment of the Hon'ble High Court of MP, Jabalpur in case of M/s Jaiprakash Associates Ltd., Rewa v/s MP Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Co. Ltd., Jabalpur, is in agreement with the respondent that the period of notice of termination of agreement may be considered as three months only."

(xvii) विद्युत प्रदाय संहिता 2004/2013/2021 अधिसूचित होने के बाद भी अथवा इसमें स्थाई विच्छेदन की नोटिस की अवधि एक माह प्रावधानित होने के बाद भी इस प्रकरण में मूल अनुबंध में नोटिस अवधि 3 माह लागू नहीं होने के आवेदन के कथन के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 185 की उपधारा 1 तथा 2 (a) का अवलोकन करने से यह सिद्ध होता है कि विद्युत अधिनियम 2003 अधिनियमित होने तथा इसके अन्तर्गत विद्युत प्रदाय संहिता 2004/2013/2021 होने पर भी अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व किया गया अनुबंध

विद्युत अधिनियम की धारा 185 के अन्तर्गत सहेजा जाएगा । स्पष्ट रूप से अनुबंध में किए गए प्रावधान अनुसार समापन के समय नोटिस की अवधि 3 माह ही रहेगी । विद्युत अधिनियम 2003 की कण्डिका 185 निम्नानुसार है :–

Section 185. (Repeal and saving): --- (1) Save as otherwise provided in this Act. the Indian Electricity Act, 1910, the Electricity (Supply) Act, 1948 and the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal,

(a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any rule, notification, inspection, order or notice made or issued or any appointment, confirmation or declaration made or any licence, permission, authorisation or exemption granted or any document or instrument executed or any direction given under the repealed laws shall. in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

(b) the provisions contained in sections 12 to 18 of the Indian Electricity Act, 1910 and rules made thereunder shall have effect until the rules under section 67 to 69 of this Act are made.

(c) the Indian Electricity Rules, 1956 made under section 37 of the Indian Electricity Act, 1910 as it stood before such repeal shall continue to be in force till the regulations under section 53 of this Act are made.

(d) all rules made under sub-section (1) of section 69 of the Electricity (Supply) Act, 1948 shall continue to have effect until such rules are rescinded or modified, as the case may be,

(e) all directives issued, before the commencement of this Act., by a State Government under the enactments specified in the Schedule shall continue to apply for the period for which such directions were issued by the State Government.

(3) The provisions of the enactments specified in the Schedule, not inconsistent with the provisions of this Act, shall apply to the States in which such enactments are applicable.

(4) The Central Government may, as and when considered necessary, by notification, amend the Schedule

(5) Save as otherwise provided in sub-section (2), the mention of particular matters in that section, shall not be held to prejudice or affect the general application of section 6 of the General Clauses Act, 1897, with regard to the effect of repeals.

10. प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन दस्तावेज एवं अपीलार्थी/अनावेदक के कथनों से निम्नानुसार निष्कर्ष प्राप्त होता है।

10.1 रेलवे विभाग ने ग्वालियर एवं दतिया कर्षण के 132 केवी के विद्युत कनेक्शनों के स्थाई विच्छेदन हेतु पत्र क्रमांक WCR/03/7508/2015-16 दिनांक 08.12.2015 के माध्यम से जो निवेदन किया था नोटिस के प्रारूप में नहीं होने के उपरान्त भी इसे नोटिस माना जा सकता है। इसी प्रकार रेलवे ने बसई कर्षण 132 केवी कनेक्शन को विच्छेदित करने हेतु पत्र WCR/L/03/7508/2015-16/171 दिनांक 07.01.2016 में कनेक्शन विच्छेदन की स्पष्ट तिथि न होने के उपरान्त भी इस पत्र को समापन हेतु नोटिस स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा ।

10.2 आवेदक का कथन/तर्क कि विद्युत प्रदाय संहिता 2004/2013/2021 लागू होने के बाद मूल अनुबंध की कण्डिका 25(बी) में अनुबंध समाप्ति के लिए 3 माह के नोटिस की अवधि विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका क्रमांक 7.26/7.28 के प्रावधान अनुसार एक माह हो जाती है । यह कथन विधि सम्मत नहीं पाया जाते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर अस्वीकार किया जाना न्याय हित में होगा ।

10.3 ग्वालियर, दतिया एवं बसई के कनेक्शनों में स्थाई विच्छेदन के लिए आवेदक के नोटिस की अवधि के संबंध में उभयपक्षों के मध्य निष्पादित मूल अनुबंध 23.12.1985, 13.10.1986 और 07.11.1986 के खण्ड 25 (बी) के प्रावधान विद्युत प्रदाय संहिता 2004/2013 पर अभिभावी (प्रभावशील) होने के कारण 3 माह मान्य किए जाने संबंधी अनावेदक का कथन एवं तर्क विधि अनुसार पाया जाता है, इसे स्वीकार किया जाना न्याय हित में होगा ।

11. प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/तर्कों/साक्ष्यों एवं माननीय न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की प्रचलित नियमों/विनियमों के प्रकाश में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों/निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :–

i) अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है ।

ii) विद्वान फोरम का निर्णय यथावत् रखा जाता है ।

iii) आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि उनके ग्वालियर, दतिया एवं बसई ट्रेक्शन विद्युत कनेक्शनों के लिए आवेदक द्वारा क्रमशः 23.12.1985, 13.10.1986 एवं 07.11.1986 को निष्पादित अनुबंधों में प्रावधानित स्थाई विच्छेदन हेतु 3 माह का नोटिस दिया जाना मान्य किया जाता है । इस आधार पर अनावेदक द्वारा विद्युत कनेक्शनों के लिए जारी अन्तिम बिलों से सुरक्षा निधि का समायोजन करने के पश्चात् देय राशि का भुगतान आवेदक द्वारा अनावेदक को तत्काल किया जावे ।

12. उक्त निर्णय के साथ आवेदक की अपील निर्णित कर प्रकरण समाप्त किया जाता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

13. आदेश की निशुल्क प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की निशुल्क प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल